# मध्यप्रदेश विधान सभा

## फरवरी-मार्च, 2005 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

**मंगलवार, दिनांक 1 मार्च, 2005 (फाल्गुन 10, 1926)**

**समय 10.30 बजे दिन**

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम की 49 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2003-2004 पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, 2002 (क्रमांक 15 सन् 2002) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य शिक्षा केन्द्र स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन का विधान सभा क्षेत्रवार पांचवीं एवं आठवीं बोर्ड परीक्षा परिणाम वर्ष 2003-2004 पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री आरिफ अकील, सदस्य, जिला शिवपुरी में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री प्रेमचन्द गुड्डू, सदस्य, इन्दौर जिले के क्षिप्रा टोल टेक्स नाके पर अवैध वसूली किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. जेल मंत्री का वक्तव्य

श्री हरनाम सिंह राठौर, जेल मंत्री, दिनांक 17 नवम्बर, 2000 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्रमांक 1195) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

### 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -

(क) कृषि उपज मंडी लहार को नव निर्मित मंडी कार्यालय में स्थानांतरित कराये जाने,
(ख) ग्राम रावतपुरा से मड़ौरी नारददेव मंदिर मगरौल तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ग) कृषि उपज मंडी समिति आलमपुर की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने,
(घ) ग्राम वैशपुरा में आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित कराये जाने,
(ङ) लहार नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कराये जाने,
(च) लहार नगर में 132 के.वी. विद्युत् उप-केन्द्र का कार्य पूर्ण कराये जाने,
(छ) ग्राम टोला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(ज) ग्राम बिजोरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(झ) ग्राम आलमपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की बाउन्ड्रीवाल बनाने तथा पेयजल व्यवस्था कराये जाने,
(ञ) भिण्ड-भाण्डेर रोड से ग्राम अरूसी-रूरई तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ट) ग्राम आलमपुर स्थित शासकीय होम्योपैथिक अस्पताल का भवन निर्माण कराये जाने,
(ठ) अमाहा-बिजपुर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,
(ड) लहार नगर स्थित शासकीय महाविद्यालय में साइन्स एवं कामर्स विषय की स्नातक कक्षायें प्रारंभ कराये जाने,
(ढ) ग्राम बरौआ में 132 के.वी. विद्युत उप केन्द्र की स्थापना कराये जाने,
(ण) ग्राम अरूसी स्थित हाई स्कूल भवन का निर्माण कराये जाने,
(त) ग्राम दबोह से सलैया तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(थ) दबोह सलैया मार्ग पर ज्ञानपुरा के पास पुलिया का निर्माण कराये जाने,
(द) ग्राम सुन्दरपुरा से अन्तियनपुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(ध) मिहोना नगर स्थित शासकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारंभ कराये जाने,
(न) लहार-वैशपुरा सड़क मार्ग की मरम्मत एवं डामरीकरण कराये जाने,
(प) लहार से छतारेपुरा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा
(फ) मुरैना जिले के ग्राम चंदोखर में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

### 6. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए निर्वाचन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 221 के उपनियम (3), नियम 223 के उपनियम (1) तथा नियम 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए क्रमशः लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

### 7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2005-2006 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमशः चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के हों) अग्रसर हों.".

### 8. वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

| निर्धारित समय | | | |
|---|---|---|---|
| 2 घन्टे 30 मि. (शेष 25 मि.) | (1) | मांग संख्या - 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
| | | मांग संख्या - 34 | समाज कल्याण |
| | | मांग संख्या - 49 | अनुसूचित जाति कल्याण |
| | | मांग संख्या - 61 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं |
| | | मांग संख्या - 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना |
| | | मांग संख्या - 79 | चिकित्सा शिक्षा |
| | | मांग संख्या - 90 | ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
| 2 घन्टे | (2) | मांग संख्या - 7 | वाणिज्यिक कर |
| | | मांग संख्या - 11 | वाणिज्य एवं उद्योग |
| | (3) | मांग संख्या - 6 | वित्त |
| | | मांग संख्या - 31 | योजना, आर्थिक और सांख्यिकी |
| | | मांग संख्या - 38 | रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय |
| | | मांग संख्या - 50 | बीस सूत्र कार्यान्वयन |
| | | मांग संख्या - 60 | जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय |
| | | मांग संख्या - 74 | वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं |
| | | मांग संख्या - 89 | ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-वित्त विभाग |
| 2 घन्टे | (4) | मांग संख्या - 27 | स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) |
| | | मांग संख्या - 91 | ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-स्कूल शिक्षा |
| | | मांग संख्या - 95 | स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) |
| 2 घन्टे | (5) | मांग संख्या - 13 | कृषि |
| | | मांग संख्या - 17 | सहकारिता |
| | | मांग संख्या - 52 | कृषि विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं |
| | | मांग संख्या - 54 | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा |

**डॉ. ए.के. पयासी**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**

**भोपाल :**
**दिनांक 28 फरवरी, 2005**